



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012026-269224
CG-DL-E-09012026-269224

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 8, 2026/पौष 18, 1947

No. 110]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 8, 2026/PAUSHA 18, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2026

का.आ. 120(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के नियम 2 (क) के अंतर्गत मैसर्स पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (पी.आई.एल.) के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश राज्य में सिलवासा स्पर पाइपलाइन बिछाई जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की, भारत के राजपत्र दिनांक 7 फरवरी, 2022 को प्रकाशित अधिसूचना का.आ. 512(अ) दिनांक 04 फरवरी, 2022 द्वारा प्राधिकृत, मैं, मोहित मिश्रा उप समाहता, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियमावली, 1963 के नियम 4 के उप-नियम (1) के नीचे दी गई परिभाषा (1) के अन्तर्गत अधिकारों के अनुपालन में, मैसर्स पी.आई.एल. जिसमें यथास्थित, उस क्षेत्र में भूमि में उपयोग का अधिकार निहित किया गया है और उस क्षेत्र में पाइपलाइन का स्वामित्व निहित है, के परामर्श से संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 4 में केंद्र शासित प्रदेश राज्य के जिला दादरा एवं नगर हवेली में प्रचालन की समाप्ति की तारीखें घोषित करता हूँ।

अनुसूची

तहसील : दादरा एवं नगर हवेली		जिला : दादरा एवं नगर हवेली			राज्य : केंद्र शासित प्रदेश
क्र.स.	गाँव का नाम	धारा 6(1) और 6(4) की का0 आ0 संख्या एवं दिनांक			प्रचालन समाप्ति का दिनांक
1	2	3			4
1	नरोली	5686 (अ)	दिनांक	05-12-2022	10-05-2023
2	कनाड़ी	6030 (अ)	दिनांक	22-12-2022	

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 17 के अंतर्गत संरचित पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 के नियम 4 के अंतर्गत भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशनार्थ

[फा.सं. एल.-14014-180-2021-जी.पी.-II] [ई-40693]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2026

S.O. 120(E).—In pursuance of powers conferred by Explanation 1 below sub-rule (1) of Rule 4 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Lands) Rules, 1963, I, Mohit Mishra, (Dy. Collector) Competent Authority authorized by Government of India, Ministry of Petroleum & Natural Gas vide Notification S.O. 512(E) dated 04th February, 2022 (published in the Gazette of India on 07th February, 2022) under Section 2(a) of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) to perform the functions of Competent Authority for laying Silvassa Spur Pipeline by M/s Pipeline Infrastructure Limited (PIL) in the State of Union Territory, in consultation with M/s PIL, to whom the Right of User in the land in that area has been vested and in whom the ownership of the pipeline in that area vests, hereby declare the dates, mentioned in Column 4 of the Schedule annexed herewith, as the dates of Termination of Operations in District Dadra and Nagar Haveli in the State of Union Territory.

SCHEDULE

Tehsil : Dadra and Nagar Haveli		District : Dadra and Nagar Haveli			State : Union Territory
Sl. No.	Village	S.O. No. and Date of Notification under sub-section (1) & (4) of Section 6			Date of Termination of Operation
1	2	3			4
1	Naroli	5686(E)	Date	05-12-2022	10-05-2023
2	Kanadi	6030(E)	Date	22-12-2022	

Published in the Official Gazette of India under Rule 4 of the P&MP (ARUL) Rules 1963, framed under Section 17 of P&MP (ARUL) Act, 1962

[F.No. L-14014/180/2021-GP-II] [E-40693]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.